प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

दाण्डिक अपील क्रमांक 239/2010

अपीलकर्ता:- हीरालाल साहू , पिता श्री दीनदयाल साहू, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी - मासाभाठ, थाना अर्जुंदा, जिला दुर्ग(छग)

बनाम

प्रत्यर्थी:- छत्तीसगढ़ राज्य, , द्वारा थाना अर्जुंदा , जिला दुर्ग (छग)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति :

अपीलार्थी के लिए श्री मनीष उपाध्याय , अधिवक्ता

राज्य / प्रत्यर्थी के लिए श्री रविंद्र अग्रवाल , पैनल अधिवक्ता

मृतक के पिता श्री पदुमलाल सोनी के लिए श्री अविनाश चंद साहू , अधिवक्ता

निर्णय

(दिनांक 09.12.2011 को पारित)

न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा के अनुसार:

1. यह अपील सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 43/2006 में पारित दिनांक 28-6-2008 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त/अपीलकर्ता हीरालाल साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 और 302 के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे 7 साल के कठोर कारावास और आजीवन कारावास से दंडित किया गया तथा 500/- रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है,

जिसके भुगतान न करने पर, उसे तीन महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। कारावास की सजाएं एक साथ चलेंगी ।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार है:

पदुमलाल सोनी (अ.सा.-1), अपने बेटे सुनील सोनी (मृतक) के साथ, बाजार-बाजार घूम कर आभूषणों/ गहनों का व्यवसाय करते थे। 17-10-2005 को, सुबह लगभग 7:00 बजे, मृतक गहने बेचने के लिए ग्राम रुदा गया था। पदुमलाल सोनी (अ.सा.-1) खराब मौसम के कारण उसके साथ नहीं गए थे। दोपहर करीब 3 बजे जब मृतक वापस नहीं आया, तो पदुमलाल सोनी (अ.सा.-1) उसकी तलाश में भिलाई गए, जहां किसी ने उन्हें बताया कि उन्होंने मृतक की मोटरसाइकिल मनसाभाठ खार में देखी थी। पदुमलाल सोनी (अ.सा.-1) वहां गए। उन्होंने देखा कि मृतक की मोटरसाइकिल एक खेत में पड़ी थी और उसका शव दूसरे खेत में पड़ा था। मृतक की गर्दन पर कई चोटें मौजूद थीं और खून निकल रहा था। वहां आभूषणों का डिब्बा नहीं मिला। इससे पहले, मृतक ने उन्हें बताया था कि जब भी उसने अपीलकर्ता से अपने भाई अनिल सोनी के पैसे वापस करने के लिए कहा, तो अपीलकर्ता ने विवाद किया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। ग्राम कोटवार संतोष कुमार साहु ने पुलिस थाना अर्जुन्दा में मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-4) और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) दर्ज कराई। विवेचना अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी-1) दिया और मृतक के शव का पंचनामा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया। शव को प्रदर्श पी-19 के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉ. सी.बी. प्रसाद

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अ.सा.-13) ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-20) दी, जिसमें उन्हें निम्नलिखित चोटें मिलीं।

1	बाईं कनिष्ठा और अनामिका के मध्य पृष्ठ भाग पर 2 इंच लंबा ऊर्ध्वाधर कटा हुआ घाव।
2	बाईं अनामिका उंगली के पृष्ठ भाग पर कटा हुआ घाव।
3	बाईं कनिष्ठा उंगली पर 2 इंच लंबा ऊर्ध्वाधर कटा हुआ घाव।
4	बाईं तर्जनी और मध्यमा के मध्य क्षैतिज रूप से स्थित 1½ इंच लंबा कटा हुआ घाव।
5	बाईं अग्रबाहु पर **½ " x ¼ "** के सतही क्षेत्र में विस्तृत कटा हुआ घाव।
6	पश्चकपाल क्षेत्र पर 3 **" x ½ " x ¼ "** माप का गहरा क्षैतिज कटा हुआ घाव।
7	गर्दन के पिछले हिस्से से 3 इंच ऊपर गहरा कटा हुआ घाव (क) मध्य रेखा के बाईं ओर 3 **" x ½ " x ¼ "** और (ख) मध्य रेखा के दाईं ओर 3 **" x ½ " x ¼ "**।
8	गर्दन पर 3 **" x ½ " x ¼ "** का गहरा कटा हुआ घाव, गर्दन का पिछला आधा हिस्सा कटा हुआ था।
9	स्कैपुलर क्षेत्र (कंधे की हड्डी के पास) पर 2 इंच का अपघर्षण।
10	दाएं स्कैपुलर क्षेत्र पर 2 इंच की रेखीय खरोंच।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डॉक्टर ने राय दी कि मृत्यु का कारण सिर और गर्दन पर घातक चोटों के कारण लगा गहरा सदमा था जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और मृत्यु की प्रकृति मानववध थी।

आगे की विवेचना में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलकर्ता का मेमोरेंडम (प्रदर्श पी-22) दर्ज किया गया और उसकी निशानदेही पर, प्रदर्श पी-23 के माध्यम से आभूषण जब्त किए गए। घटनास्थल से सादा मिट्टी और खून से सनी मिट्टी प्रदर्श पी-5 के माध्यम से जब्त की गई। पंजीकरण क्रमांक सी.जी. 08 जेड ई 7734 वाली मोटरसाइकिल और चप्पल की एक जोड़ी घटनास्थल से प्रदर्श पी-6 के माध्यम से जब्त की गई। फैंसी टॉप, झुमका, अन्य फैंसी टॉप और अन्य आभूषण प्रदर्श पी-7 के माध्यम से जब्त किए गए। पटवारी जितेंद्र सिंह राजपूत (अ.सा.-4) ने प्रदर्श पी-8 के माध्यम से मौका नक्शा तैयार किया। जब्त की गई वस्तु टांगिया को विवेचना के लिए भेजा गया और डॉ. सी.बी. प्रसाद (अ.सा.-13) ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-15) दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता से जब्त किए गए आभूषणों की पहचान की कार्यवाही नायब-तहसीलदार/कार्यपालक मजिस्ट्रेट सी.एल. चनय (अ.सा.-14) द्वारा पहचान कार्यवाही मेमोरेंडम (प्रदर्श पी-21) के माध्यम से की गई। विवेचना अधिकारी द्वारा घटना स्थल का नक्शा भी तैयार किया गया था। अपीलकर्ता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल, दुर्ग भी भेजा गया था और डॉ.ए.के. मिश्रा (अ.सा.-12) ने उसकी विवेचना करने के बाद अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-17) दी। जब्तशुदा वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु प्रदर्श पी.-13 के माध्यम से निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर को प्रेषित किया गया था, जहाँ से प्रदर्श पी.-30 के साथ रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-31) प्राप्त हुई।"

विवेचना पूरी होने के बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और मामला सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उपार्पित किया गया जिन्होंने विचारण किया और अपीलकर्ता को उपरोक्तानुसार दोषसिद्धि एवं दंडित किया।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष उपाध्याय ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) में अपीलकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं है। पदुमलाल सोनी (अ.सा.-1) द्वारा प्रस्तुत सूची में कोई तारीख अंकित नहीं है। चक्षुदर्शी साक्षियों पंचराम देवांगन (अ.सा.-9), बीरेंद्र कुमार (अ.सा.-10) और नंद कुमार (अ.सा.-11) ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। देवलाल साहू (अ.सा.-16) और कुशल साहू (अ.सा.-17) के अनुसार, जब उक्त बरामदगी की गई थी, तब अपीलकर्ता वहां मौजूद नहीं था। यह दर्शाता है कि उक्त बरामदगी अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में की गई थी। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता से मेमोरेंडम और आभूषणों की बरामदगी साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया दोषसिद्धि का निष्कर्ष विधि की दृष्टि में स्थिर रखे जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री रवींद्र अग्रवाल ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मृतक के पिता पदुमलाल सोनी (अ.सा.-1) के विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश चंद साहू ने विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

6. हमने विस्तार से पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ सत्र प्रकरण के अभिलेख का भी परिशीलन किया है।

7. पदुमलाल सोनी (अ.सा.-1) ने गवाही दी कि 17-10-2005 को सुबह लगभग 7 बजे उनका बेटा सुनील कुमार सोनी (मृतक) आभूषण बेचने के लिए ग्राम रुदा गया था। वह दोपहर 3 बजे तक ग्राम रुदा से वापस नहीं आया। वह मोटरसाइकिल पर ग्राम रुदा गया था। वह अपने बेटे की तलाश में भिलाई बाजार गए। वहां, एक होटल में बैठे कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि उन्होंने उनके बेटे से संबंधित किसी झगड़े के बारे में सुना है। उन्होंने यह भी बताया कि झगड़ा भिलाई और मसाभाठ खार के बीच अपीलकर्ता के साथ हुआ था। उन्होंने आगे गवाही दी कि जब वे भिलाई और मसाभाठ खार के बीच पहुंचे, तो उन्होंने अपने बेटे की मोटरसाइकिल एक खेत में पड़ी देखी और अपने बेटे का शव दूसरे खेत में पड़ा देखा। उन्होंने अपने बेटे सुनील सोनी की मौत के बारे में किसी भी व्यक्ति पर संदेह व्यक्त नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. प्रतिपरीक्षण में, पदुमलाल सोनी (अ.सा.-1) ने गवाही दी कि उन्होंने पुलिस के सामने अपने बयान में यह संदेह व्यक्त नहीं किया था कि हत्या और लूट अपीलकर्ता द्वारा की गई थी। वे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान थे क्योंकि उनके कमाऊ बेटे का निधन हो गया था। उन्होंने पहले पुलिस में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं की थी कि अपीलकर्ता ने उनके बेटे अनिल सोनी के साथ लेनदेन के संबंध में विवाद किया और धमकी दी थी। यह सच है कि उन्होंने इस प्रकरण में अलग से एक अधिवक्ता नियुक्त किया है। यह सच है कि अपीलकर्ता और उनके बेटों के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने

अपीलकर्ता और उनके बेटे के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी।

9. पदुमलाल सोनी (अ.सा.-1) ने गवाही दी कि कुछ व्यक्तियों ने उन्हें उनके पुत्र से संबंधित एक विवाद के बारे में बताया था। उन्होंने यह भी बताया कि यह विवाद भिलाई और मसाभाठ खार के बीच अपीलकर्ता के साथ हुआ था। किंतु, उन्होंने उस व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं किया जिसने उन्हें अपीलकर्ता और मृतक के बीच हुए विवाद की जानकारी दी थी, और अभियोजन पक्ष ने उस व्यक्ति का परीक्षण भी नहीं किया, जो अभियोजन के प्रकरण के लिए घातक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. पंचराम देवांगन (अ.सा.-9) ने गवाही दी कि 17-10-2005 को सुबह लगभग 8:30 बजे, वह एक दर्जी से अपने वे कपड़े लेने ग्राम चींचा गए थे जो उन्होंने सिलाई के लिए उसे दिए थे। कपड़े लेकर जब वह सुबह लगभग 10-10:15 बजे ग्राम मसाभाठ लौट रहे थे, तो उन्होंने अपीलकर्ता को अपने कृषि क्षेत्र (खेत) में चलते हुए देखा। उनकी साइकिल खेत के पास खड़ी थी और उस पर मिट्टी के तेल के खाली डिब्बे रखे हुए थे। इसके बाद, उसी दिन उन्होंने अपीलकर्ता को उन्हीं डिब्बों के साथ निकुम की ओर आते देखा था। प्रतिपरीक्षण के दौरान, उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने पुलिस के समक्ष यह बयान दिया था कि अपीलकर्ता ने अपनी साइकिल अपने खेत के पास खड़ी की थी और उस पर मिट्टी के तेल के डिब्बे रखे थे।

11. बीरेंद्र कुमार (अ.सा.-10) ने गवाही दी कि वह अपीलकर्ता को नहीं जानते थे। उन्हें पता था कि मृतक की हत्या कर दी गई थी और यह हत्या मसाभाठ और भिलाई के बीच

एक खेत में हुई थी। उस घटना वाले दिन, जब वह सुबह लगभग 10:30 बजे अपने स्कूल जा रहे थे, उन्होंने मृतक को मसाभाठ रोड पर भिलाई की ओर मोटरसाइकिल पर जाते देखा था। उस समय, बारिश होने और भीग जाने के कारण वह एक बबूल के पेड़ के नीचे खड़े थे। तत्पश्चात, जब वह अपने गाँव लौट रहे थे, तो उन्होंने मृतक की मोटरसाइकिल सड़क पर पड़ी देखी और कोई व्यक्ति खेत में मृतक की पिटाई कर रहा था। हमले का हथियार लोहे का बना था और वह दातून काटने वाली कोई वस्तु थी। वह उस वस्तु का नाम नहीं जानते थे। जो व्यक्ति मृतक को पीट रहा था, वह उनके पास आया और उन्हें गाली दी, जिसके कारण डर के मारे वह वहाँ से भाग गए। उस व्यक्ति ने उन्हें कोई हथियार नहीं दिखाया। इसके बाद, भागते हुए वह मसाभाठ खार की ओर चले गए। उन्होंने इस घटना की जानकारी उन लोगों को दी जो उन्हें मसाभाठ खार से भिलाई जा रहे एक ट्रैक्टर पर रास्ते में मिले थे। उन्होंने आगे गवाही दी कि वह मृतक पर हमला करने वाले व्यक्ति को नहीं पहचान सके। वह न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही के दिन भी मृतक के हमलावर को पहचानने में सक्षम नहीं थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. नंद कुमार (अ.सा.-11) ने गवाही दी कि उस घटना वाले दिन वह खुरसुलवाल खार में स्थित अपने मालिक के खेत से लौट रहे थे। उस समय बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए, वह सड़क के किनारे पड़े एक पोंगा (सीमेंट का पाइप) के भीतर चले गए। उनका मुख भिलाई खार की ओर था। उन्होंने दो व्यक्तियों को आपस में झगड़ते हुए देखा। उनके और झगड़े के स्थान के बीच की दूरी लगभग 8-9 खेत के बराबर थी। उन्होंने यह नहीं देखा कि उस झगड़े में किसने किस पर हमला किया और जैसे ही बारिश रुकी, वह

अपने घर चले गए। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने गवाही दी कि यह सत्य है कि उन्होंने पोंगा से कुछ दूरी पर झगड़ा होते देखा था। यह कहना गलत है कि आपस में झगड़ा करने वाले व्यक्ति अपीलकर्ता और मृतक ही थे। झगड़ा बहुत दूर हो रहा था, इसलिए वह किसी को पहचान नहीं सके। उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि झगड़ रहे दो व्यक्तियों में से एक ने दूसरे पर टांगिया से हमला किया था।

13. अभियोजन ने पंचराम देवांगन (अ.सा.-9), बीरेंद्र कुमार (अ.सा.-10) और नंद कुमार (अ.सा.-11) का चक्षुदर्शी साक्षियों के रूप में परीक्षण कराया, लेकिन उन्होंने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया और वे पक्षद्रोही हो गए। इसलिए, उनका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अभियोजन ने अपीलकर्ता के विरुद्ध मेमोरेंडम और बरामदगी का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अब हम इस बात की विवेचना करेंगे कि क्या अभियोजन यह साबित करने में सक्षम रहा है कि लूटे गए/चोरी किए गए गहनों की बरामदगी अपीलकर्ता से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर की गई थी?

15. याकूब मेमन (अ.सा.-18) ने बयान दिया कि 26-10-2005 को लगभग शाम 4:30 बजे, उसने अपीलकर्ता का मेमोरेंडम (प्रदर्श पी-22) दर्ज किया था और उसकी निशानदेही पर एक टांगिया (कुल्हाड़ी) प्रदर्श पी-24 के माध्यम से जब्त की गई थी। अपीलकर्ता ने तालाब से बाहर निकालकर एक पेटी पेश की थी, जिसकी जब्ती गवाहों की उपस्थिति में प्रदर्श पी-26 के माध्यम से की गई थी। अपीलकर्ता के घर की रसोई से कुछ सामान प्रदर्श पी-23 के माध्यम से जब्त किया गया था।

16. देवलाल साहू (अ.सा.-16) ने बयान दिया कि वह अपीलकर्ता को जानता था। 26-10-2005 को पुलिस थाना अर्जुन्दा में अपीलकर्ता से पूछताछ की गई थी। अपीलकर्ता ने पुलिस को टांगिया से हमला करने के बारे में बताया था और कहा था कि वह टांगिया को उस स्थान से बरामद करवा देगा जहाँ उसे रखा गया है। टांगिया की जब्ती पुलिस द्वारा उसके सामने नहीं की गई थी और न ही अपीलकर्ता ने उसके सामने टांगिया बरामद करवाई थी। अपीलकर्ता ने पुलिस थाने में अपने पास टांगिया और सोने एवं चांदी के गहने होने की बात स्वीकार की थी। अपीलकर्ता ने उसके सामने पुलिस को बताया था कि उसने सोने और चांदी के गहनों को टीन के एक पीपे में रखा था और उन्हें अपने घर की रसोई में खोदे गए एक गड्ढे में छिपा दिया था। उसने पुलिस के सामने यह भी कहा था कि वह गहने बरामद करवा देगा। प्रति-परीक्षण में, उसने बयान दिया कि 26-10-2005 को वह पुलिस थाने गया था। अपीलकर्ता का बयान पुलिस थाने में उसके सामने दर्ज नहीं किया गया था। जिस समय पुलिसकर्मियों ने उसे पुलिस थाने में सामान दिखाया था, उस समय उन्होंने अपीलकर्ता से पूछताछ की थी। यह सच है कि उसने सभी गहने और टांगिया पहली बार पुलिस थाने में ही देखे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. कुशल साहू (अ.सा.-17) ने गवाही दी कि वह पुलिस द्वारा जब्ती के बाद अपीलकर्ता के घर पहुँचा था । उसे पता चला कि पुलिस ने अपीलकर्ता के घर से एक टिन (कंटेनर) जब्त किया है जिसमें सोने और चांदी के आभूषण रखे थे । उसने वहां अपीलकर्ता को नहीं देखा था । प्रतिपरीक्षण में, उसने गवाही दी कि उसे नहीं पता था कि गहनों से भरा एक पीपा पुलिस ने अपीलकर्ता के कहने पर उसके घर से जब्त किया था क्योंकि वह वहां

देर से पहुँचा था । यह सच है कि पुलिसकर्मियों ने उसे पुलिस के कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था और कहा था कि वह डरे नहीं क्योंकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी । उनके द्वारा दिए गए आश्वासन पर, उसने सभी कागजातों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे ।

18. देवलाल साहू (अ.सा.-16) ने गवाही दी कि अपीलकर्ता का मेमोरेंडम दर्ज किया गया था और अपीलकर्ता के कहने पर टांगिया और आभूषण जब्त किए गए थे । कुशल साहू (अ.सा.-17) ने भी गवाही दी कि अपीलकर्ता का मेमोरेंडम दर्ज किया गया था और अपीलकर्ता के कहने पर आभूषण बरामद किए गए थे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 सामान्य परिस्थितियों में हिरासत में दिए गए बयान के व्युत्पन्न उपयोग की अनुमति इस सीमा तक देती है कि तथ्यों की बाद की खोज से उनकी पुष्टि की जा सके । भारतीय विधि में, ऐसा कोई उपधारणा नहीं है कि हिरासत में दिए गए बयान जबरदस्ती लिए गए हैं । हालांकि, परिस्थितियों के आधार पर, यह विवेचना की जा सकती है कि क्या किसी व्यक्ति को वास्तव में हिरासत में रहने के दौरान बयान देने के लिए मजबूर किया गया था ।

20. देवलाल साहू (अ.सा.-16) ने गवाही दी कि पुलिस ने उसकी मौजूदगी में अपीलकर्ता से टांगिया जब्त नहीं किया था । उसने आगे गवाही दी कि पुलिस ने कंटेनर जब्त किया था, लेकिन उसने यह नहीं देखा था कि उस कंटेनर में क्या रखा था । जब पुलिस थाने में कंटेनर खोला गया, तो उसने देखा कि उक्त कंटेनर में कुछ आभूषण रखे थे । उसने आगे गवाही दी कि उसके बाद अपीलकर्ता ने टांगिया और आभूषणों के बारे में

स्वीकार किया था । उसने आगे गवाही दी कि जब पुलिस ने अपीलकर्ता की रसोई से कंटेनर बरामद किया था, उस समय अपीलकर्ता वहां मौजूद नहीं था । उसने पुलिस थाने में आभूषण देखे थे । उसने आगे गवाही दी कि यह कहना गलत है कि अपीलकर्ता ने खुद पुलिस को वह पीपा दिया था, जिसमें आभूषण रखे थे और जिसे उसने अपनी रसोई में खोदे गए गड्ढे में छिपाया था । उसने आगे गवाही दी कि अपीलकर्ता का मेमोरेंडम उसके सामने दर्ज नहीं किया गया था । उसने गवाही दी कि जब उसे वस्तुएं दिखाई गईं, उस समय पुलिसकर्मियों ने अपीलकर्ता से पूछताछ की थी ।

21. कुशल साहू (अ.सा.-17) ने गवाही दी कि जब जब्ती की गई थी, उस समय उसने वहां अपीलकर्ता को नहीं देखा था । उसने आगे गवाही दी कि उसके सामने अपीलकर्ता से टांगिया जब्त नहीं किया गया था । उसे अपीलकर्ता से किसी भी वस्तु या आभूषण की जब्ती के बारे में पता नहीं था । उसने आगे गवाही दी कि पुलिस द्वारा पूछे जाने और उसे यह आश्वासन दिए जाने पर कि उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, उसने मेमोरेंडम और जब्ती पत्रक पर हस्ताक्षर किए थे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अपीलकर्ता के घर की तलाशी पुलिस ने अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में ली थी । कुशल साहू (अ.सा.-17) ने गवाही दी कि अपीलकर्ता के घर के पास से एक पीपा (कंटेनर) जब्त किया गया था, जिसमें सोने और चांदी के आभूषण रखे थे । अपीलकर्ता का घर आसानी से सुलभ था और आभूषण उसके घर के पास पाए गए थे और बरामदगी के समय अपीलकर्ता वहां मौजूद नहीं था । 26-10-2005 को पुलिस द्वारा की गई वस्तुओं/आभूषणों की तलाशी और बरामदगी विश्वास को प्रेरित नहीं करती है क्योंकि घर

आसानी से सुलभ था । हमने गवाहों के साक्ष्य, पंचनामों और जब्त की गई वस्तुओं की सूची का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है । विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए अपनाया गया तर्क निराधार और अनुचित है ।

23. पदुमलाल सोनी (अ.सा.-1) ने गवाही दी कि पहचान की कार्यवाही में उसने अपने आभूषणों/गहनों की पहचान की थी । उसने आगे गवाही दी कि वह आभूषणों/गहनों की पहचान की कार्यवाही में उपस्थित हुआ था । पहचान की कार्यवाही नायब-तहसीलदार/कार्यपालक मजिस्ट्रेट सी.एल. चनय (अ.सा.-14) द्वारा की गई थी । उसने कंपनियों के सील-निशानों के आधार पर अपने आभूषणों की पहचान की थी । उसने आभूषणों पर सील-निशान **S.S.P.** और **R.S.** देखे थे और उनकी पहचान अपने होने के रूप में की थी । पहचान की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा प्रदर्श पी-21 के माध्यम से की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. सी.एल. चनय (अ.सा.-14) ने गवाही दी कि 22-11-2005 को वह गुंडरदेही में नायब-तहसीलदार/कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे । 22-11-2005 को उन्होंने पुलिस थाने अर्जुन्दा के अपराध क्रमांक 128/05 से संबंधित वस्तुओं की पहचान की कार्यवाही की थी । उन्होंने आगे गवाही दी कि पहचान की कार्यवाही में पदुमलाल सोनी (अ.सा.-1) ने अपने आभूषणों/गहनों की पहचान की थी ।

25. पदुमलाल सोनी (अ.सा.-1) ने गवाही दी कि यह सच है कि उसने पुलिस के सामने अलग से वस्तुओं की सूची देने के बारे में नहीं बताया था । यह सच है कि दस्तावेज़ प्रदर्श पी-3 पर कोई तारीख नहीं है । उसने पहचान की कार्यवाही से पहले पुलिस को

सूची (प्रदर्श पी-3) दी थी 22। यह सच है कि उसने पुलिस थाने में आभूषणों की खरीद से संबंधित बिल जमा नहीं किए थे । उसने घर पर आभूषणों की कोई अन्य सूची नहीं रखी थी ।

26. प्रदर्श पी-4 मर्ग सूचना है और प्रदर्श पी-9 प्रथम सूचना रिपोर्ट है। इन दस्तावेजों में लूटे गए आभूषणों का विवरण नहीं है। प्रदर्श पी-3 पदुमलाल सोनी (अ.सा.-1) द्वारा पुलिस को दी गई आभूषणों की सूची है। प्रदर्श पी-3 में इसे दर्ज करने की कोई तारीख नहीं है। पदुमलाल सोनी (अ.सा.-1) ने स्वीकार किया कि यह सच है कि प्रदर्श पी-3 में किसी तारीख का उल्लेख नहीं था। चूंकि प्रदर्श पी-4 और प्रदर्श पी-9 में आभूषणों का विवरण नहीं है और प्रदर्श पी-3 में इसे दर्ज करने की कोई तारीख नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जब्त की गई वस्तुएं वास्तव में लूटी गई या चोरी की गई वस्तुएं थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. याकूब मेमन (अ.सा.-18) के अनुसार, अपीलकर्ता का मेमोरेंडम उनके द्वारा 26-10-2005 को दर्ज किया गया था और जब्ती 26-10-2005 को शाम लगभग 6:15 बजे की गई थी। पहचान की कार्यवाही नायब-तहसीलदार/कार्यपालक मजिस्ट्रेट सी.एल. चनय (अ.सा.-14) द्वारा 22-11-2005 को की गई थी, जो कि 26-10-2005 के लगभग 26 दिनों के बाद थी। देवलाल साहू (अ.सा.-16) और कुशल साहू (अ.सा.-17) ने विशेष रूप से गवाही दी कि बरामदगी के समय अपीलकर्ता मौजूद नहीं था। यह दर्शाता है कि जब्ती अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में की गई थी। देवलाल साहू (अ.सा.-16) और कुशल साहू (अ.सा.-17) के साक्ष्य के अवलोकन से पता चलता है कि पुलिसकर्मियों ने आभूषणों की

जब्ती करने के बाद अपीलकर्ता से पूछताछ की थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आभूषणों और टांगिया की बरामदगी अपीलकर्ता के मेमोरेंडम के आधार पर नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त जब्त की गई वस्तुओं की पहचान 26 दिनों की देरी के बाद की गई थी और इस देरी के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई युक्तियुक्त या उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसलिए, जब्त की गई वस्तुओं की पहचान की कार्यवाही संदिग्ध हो जाती है और इसे अपीलकर्ता की दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता।

28. अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ तीन प्रत्यक्षदर्शियों—पंचराम देवांगन (अ.सा.-9), बीरेंद्र कुमार (अ.सा.-10) और नंद कुमार (अ.सा.-11) के साक्ष्य पेश किए हैं, लेकिन उन्होंने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया साक्ष्य का दूसरा सेट अपीलकर्ता का मेमोरेंडम है और उसके कहने पर टांगिया तथा लूटे गए/चोरी के आभूषणों की बरामदगी है, लेकिन अभियोजन पक्ष उक्त मेमोरेंडम और उसके आधार पर की गई बरामदगी को साबित करने में विफल रहा है। अतः परिस्थितियों की श्रृंखला यह निर्णायक रूप से स्थापित करने के लिए पूर्ण नहीं है कि अकेले अपीलकर्ता ने ही अपराध किया है। उपरोक्त परिस्थितियों में, मेमोरेंडम और उक्त मेमोरेंडम के आधार पर वस्तुओं की बरामदगी विश्वसनीय नहीं है और अपीलकर्ता की दोषसिद्धि के लिए इसे आधार नहीं बनाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. हमारी यह राय है कि प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। पूर्वोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय को यथावत नहीं रखा जा सकता है।

30. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 397 और 302 के तहत अपीलकर्ता को दी गई दोषसिद्धि और दण्डादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता को उसके खिलाफ तय किए गए आरोपों से बरी किया जाता है। यह बताया गया है कि अपीलकर्ता 26-10-2005 से जेल में है। यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

31. जब्त की गई संपत्ति के संबंध में विद्वान सत्र न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की जाती है।

हस्ता/- सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश	हस्ता/- राधेश्याम शर्मा न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smt. Vijaylaxmi Pradhan [Adv.]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur